

**फर्दे अहकाम**

(विभाग 26)

अज अदालत ..... 31/11/2018 सी.सी. नं. 100/2018 ..... सिकराय ..... (दस्तावेज) .....  
 सरकास बनाम ..... राठ डो माठ विठ गुमानपुरा .....  
 किरम मुकदमा ..... त.र.सी.सी. मुद्रकरी ..... मु० नं० ..... 6/18 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-11-21	<p>पञ्जावली पेशा पत्राव स्टेट प्राप्त। कल दावा चुनी गयी। वाद अनुसार तदीगण ग्राम गुमानपुरा में राठ डो माठ विद्यालय की आवंटित भूमि के नम्बरा ड्रेस में भू-पत्र विभाग द्वारा 2015 में की गयी तथाकथित नम्बरा ड्रेस मुद्दे की आवंटन नम्बरा अनुपप वृद्ध करवाना चाहते हैं।</p> <p>वाद अनुसार विद्यालय की 1985 में 8 साविक ख.नं. 387 में 8 बीघा भूमि का तथा 15 बीघा भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत गुमानपुरा की किया गया। आवंटन पश्चात स्कूल का ख.नं. 387/1/2 व ग्राम पंचायत का 387/2 कायम किया गया। ख.नं. 387/1/2 के नये ख.नं. 547 व 387/2 के नये ख.नं. 552 भू-पत्र विभाग द्वारा कायम किये गये हैं।</p> <p>तदीगण ने वाद के साथ सख्वांटीत जमाकदिया, आवंटन आदेश, नम्बरा ड्रेस सलंगन किये हैं।</p> <p>उपरो. सं. 1 पञ्जावली पत्राव राठ डो माठ वि. गुमानपुरा द्वारा दि. 12.2.18 की अवाकदावा दावा पेश किया गया।</p> <p>ग्राम पंचायत द्वारा कोई अवाकदावा पेश नहीं किया गया है। उपरो. सं. 2 स्टेट द्वारा दि. 30.9.21 की विन्दुवार अवाकदावा पेश किया गया।</p> <p>वाद के तथ्यों व तदीगण के अवाकदावा कृतव्यों पर गौर किया गया।</p> <p>अवाक स्टेट अनुसार ख.नं. 387 में विद्यालय व ग्राम पंचायत की आवंटित भूमि की तरफ से भू-पत्र विभाग द्वारा आवंटन के अनुपप नहीं की गयी।</p> <p>अतः तदीगण व 31/11/2018 की आदेशों को किया जाता है कि ग्राम गुमानपुरा के राठ डो माठ विठ तथा ग्राम पंचायत भूमि की नम्बरा ड्रेस में तरफ से, मुताबिक आवंटन आदेश के अमल दरामद के समय की गयी नम्बरा तरफ से के अनुपप करवा लें।</p> <p>मुताबिक आदेश डि.सी. व तरफ आरी लोकर पञ्जावली कि फैसल सुमार लो।</p>	

(पञ्जावली पत्राव)  
8-11-21